रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 91] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 7, 1975/फाल्गुन 16, 1896

No. 91] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 7, 1975/PHALGUNA 16, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

ORDER

New Delhi, the 7th March 1975

S.O. 129(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1970, namely:—

1. (i) This Order may be called the Drugs (Prices Control) Amendment Order, 1975.

(ii) It shall come into force on the 1st day of May, 1975.

2. In paragraph 15 of the Drugs (Prices Control) Order, 1970,

after the words "Central Government", the words "or the price displayed on the label of the container of the formulation whichever is less", shall be inserted.

[No. 7(19)/74-Ch.I]

VINOD KUMAR, Jt. Secy.

पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1975

का० आ० 129(अ).—आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार, औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 में आगे और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. (1) इस आदेश का नाम औषध (कीमत नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1975 है।

(2) यह मई, 1975 के प्रथम दिन प्रवृत्त होगा।

2. औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 15 में,

"केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित

मूल्य सूची" शब्दों के पश्चात् "या सूत्र योगों के कन्टेनर के लेबल पर दिखाया गया मूल्य, दोनों में से जो कम हो," शब्द अन्तः स्थापित किये जायेंगे।

[सं० 7(19)/74—सी० एच० 1]

विनोद कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975